Forest Peoples Programme

आई.एफ.आई. मानक की निर्देशिका
सितम्बर 2008

# आदिवासी समुदाय और विश्व बैंक परियैंजनाएं

# विश्व बैंक की आदिवासी नीति के लिए एक सामुदायिक मार्गदर्शिका (OP/BP 4.10)

# आदिवासी नीति

अगर सरकार आप के क्षेत्र में विष्व बैंक से मिले पैसे से कोई योजना चलाना चाहती है तो उसे विष्व बैंक की आदिवासी नीति ;व्ब्ठच 4ण्10द्ध के नियमों का पालन करना होगा। यह नीति कहती है कि बैंक उन परियोजनाओं के लिए पैसा नहीं देती जिन्हें आदिवासी जनों का समर्थन प्राप्त न हो। बैंक के नियमों में यह साफ–साफ बताया गया है कि आदिवासियों को प्रभावित करने वाली परियोजनाओं की योजना किस तरह बनाई जा सकती है और उन्हें किस तरह चलाया जा सकता है। साथ ही, यह भी कि इन परियोजनाओं से आदिवासियों को हो सकने वाली हानि को किस तरह से रोका या कम से कम किया जा सकता है।

यह मार्गदर्षिका आपको उन तमाम कायदे कानूनों की जानकारी देती है जिनका पालन विश्व बैंक से पैसा–प्राप्त परियोजनाओं को करना ज़रूरी होता है। इसके अलावा यह आपको विश्व बैंक परियोजनाओं के सिलसिले में आपके अधिकारों की सही–सही जानकारी भी देती है ताकि आप यह सुनिश्चित कर सकें कि इनमें आपके अधिकारों की सुरक्षा पूरी ईमानदारी व पारदर्शिता से की गई है। इस मार्गदर्षिका के ज़रिये इन परियोजनाओं में आपकी पूरी–पूरी भागीदारी सुनिश्चित करने व आपके अधिकारों का हनन होने की दशा में आपके द्वारा इन्हे ठुकराए जा सकने के बारे में भी विस्तार से बताया गया है।

इस सबके लिए यह ज़रूरी है कि योजना बनते वक्त आप अपनी बात रखें ताकि विश्व बैंक की हर परियोजना में आपकी ज़रूरतों व आपके अधिकारों को शामिल किया जा सके। एक बार जो परियोजना का अंतिम स्वरूप बन गया तो फिर उसमें कोई भी बदलाव लाने के हिसाब से काफी देर हो चुकी होती है।

इस मार्गदर्षिका के विभिन्न बॉक्सों में बैंक की नीति व नियमों की सविस्तार जानकारी बैंक की अधिकृत पदावली में दी गई है। आपके समुदायों, संगठनों व नेताओं के लिए इन शब्दों के अर्थ समझना एकदम ज़रूरी है ताकि आप या वे बैंक से उसी की भाषा में बात कर सकें तथा वे बैंक व सरकार द्वारा आपकी बात सुनी जाने के बेहतर अवसर बनें।

पृश्ठ 7 में बताया गया है कि विष्व बैंक और आदिवासी जनों के सहायक संगठनों से और अधिक जानकारी कहां से मिल सकती है। यह मार्गदर्षिका आपको और आप के समुदायों को विष्व बैंक जैसे नियमों वाली अन्य एजेन्सियों से निधि प्राप्त परियोजनाओं की चर्चा में भी मदद कर सकती है।

विष्व बैंक और उससे कर्ज लेने वालों (सरकारों) को बैंक की आदिवासी नीति के तहत जिन मुख्य नियमों का पालन करना चाहिए उनके बारे में वन जन कार्यक्रम (फॉरेस्ट पीपुल्स प्रोग्राम – एफ. पी. पी.) के आधार पर एफ. पी. पी. ने यह मार्गदर्षिका तैयार की है।

विष्व बैंक की परियोजना पर प्रतिक्रिया करने तथा सीधे बैंक से सम्पर्क करने के लिए आपके सामने दूसरे रास्ते भी हैं। आपकी सरकार राश्ट्रीय कानूनों से बंधी हुई है। अगर आप समझते हैं कि परियोजना इन कानूनों का उल्लंघन कर रही है तो आप अपनी सरकार को इसके लिए जवाबदेह ठहराने के लिए अपने राश्ट्रीय न्यायालयों का उपयोग कर सकते हैं। अगर यह संभव न हो, लेकिन आप के देष ने अंतर्राश्ट्रीय मानवाधिकार संधियों को स्वीकार किया है तब आप अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में चिंता व्यक्त करने के लिए संधियों की षिकायत या प्रतिवेदन प्रक्रियाओं का उपयोग कर सकते हैं। किसी परियोजना के बारे में षिकायत करने या अपील करने के अपने विकल्पों को तय करने के लिए अच्छा होगा कि आप अपने देष में या अंतर्राश्ट्रीय स्तर पर किसी आदिवासी जन संगठन या सहायक एन. जी. ओ. से सलाह–मषविरा करें।

## 1 विष्व बैंक परियोजना का प्रारंभ – स्क्रीनिंग

जब कोई सरकार विष्व बैंक के सामने किसी परियोजना का प्रस्ताव रखती है तब बैंक को यह पता करना चाहिए कि परियोजना विष्व बैंक की आदिवासी जन नीति का पालन करती है या नहीं।

यह करने के लिए विष्व बैंक को क्षेत्र के बारे में दस्तावेजों का अध्ययन करना होगा। वह परियोजना क्षेत्र में आदिवासी जनों के बारे में जानकारी लेने के लिए परामर्षदाताओं को भी भेज सकती है। इस षुरू आती चरण को स्क्रीनिंग कहा जाता है।

अक्सर आदिवासी जनों को परियोजना के बारे में जानकारी तब मिलती है, जब परामर्षदाता उनके यहाँ जाते हैं। अगर स्क्रीनिंग यह दर्षाती है कि आदिवासी जन उस जगह के निकट रहते हैं जहाँ परियोजना चलायी जायेगी (इसे परियोजना क्षेत्र कहा जाता है)। और अगर परियोजना उन क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती है जो कई पीढ़ियों से आदिवासियों की ज़मीन और भू भागों (सामूहिक अटैचमेंट) से जुड़े हैं, जिनमें उनके पवित्र स्थल और वैसे क्षेत्र षामिल हैं जिनका उपयोग वे सिर्फ मौसम के अनुसार करते हैं; उस सूरत में विष्व बैंक और सरकार के लिए नीति का पालन करना आवश्यक हो जाएगा।

उदाहरण पेट्रा रोहर–राउनडाल की पुस्तक "जहा कोई कलाकार न हो" से रूपांतरित किया गया।

# नीति क्या कहती है

## 2 आपके भागीदारी अधिकार

स्क्रीनिंग से लेकर परियोजना समाप्त होने तक सरकार को प्रत्येक चरण में आप लोगों के साथ चर्चा करना होगी। इसका उद्देष्य परियोजना पर आपके समुदाय की राय के बारे में यह जानना है कि सरकार को क्या करना चाहिए और आप परियोजना का समर्थन करते हैं या नहीं (बॉक्स 4 देखें)। परियोजना आगे बढ़ने की सूरत में सरकार को नियमित रूप से आपकी राय जाननी होगी और आपको परियोजना की प्रगति के बारे में बताना होगा। परियोजना के दौरान परामर्षदाता, सरकारी अधिकारी या बैंक के कर्मचारी कई बार आप से मिलने आ सकते हैं।

आपके साथ किया जाने वाला हर परामर्ष खुले रूप से, पूर्व–सूचित ढंग से और जानकारी सहित होना ज़रूरी होगा :

- "खुले रूप से" का अर्थ यह है कि आप स्वेच्छापूर्वक अपनी राय देते हैं और कोई एक खास बात कहने के लिए आपको उकसाया या धमकाया नहीं जाता है।
- "पूर्व–सूचित" का अर्थ यह है कि सरकार पहले से आपको बताती है कि वह आप से कब–कब सलाह करेगी और वह भी निर्णय लेने के पहले, न कि बाद में।
- "जानकारी सहित" का अर्थ यह है कि सरकार आपको परियोजना के बारे में सारी सच्चाई बताती है जिसमें आपके हिसाब से अच्छी और बुरी, दोनों बातें षामिल होंगी। इसके लिए सरकार को सही भाशा में आपको जानकारी देना होगी और इस प्रकार से देना होगी कि आपका समूचा समुदाय उसे समझ सके।

इसके अलावा, सलाह–मषविरा इस प्रकार करना होगा कि उसमें आपकी आदिवासी संस्कृति के प्रति सम्मान हो, उसमें सामुदायिक निर्णय लेने की आपकी परंपरागत पद्धतियाँ षामिल हों। "खुले" "पूर्व–सूचित" और "जानकारी सहित" सलाह–मषविरे का अर्थ सिर्फ आपको जानकारी देने और आपकी बात सुनने से कहीं बढ़कर होगा। इस सारी कवायद का अर्थ यह है कि आप लोग परियोजना के बारे में निर्णय लेने में सक्रिय रूप से जुड़ें।

इसे "जानकारी सहित भागीदारी" कहा जाता है।

## 3 सामाजिक आकलन

स्क्रीनिंग के बाद और परियोजना षुरू होने के पहले, सरकार को आपके बारे में जानकारी जमा करने के लिए एक **सामाजिक आकलन** करना ज़रूरी होगा। सरकार और बैंक को यह सुनिष्चित करना होगा कि आपके समुदाय और संगठन इस 'सामाजिक आकलन' में भाग ले सकें (बॉक्स C देखें)।

सामाजिक आकलन में लोगों के "पारम्परिक अधिकारों" को शामिल करना ज़रूरी होगा। इसका अर्थ है आपकी ज़मीन, और आपके पानी पेड़–पौधों, जानवरों, चट्टानों जैसे प्राकृतिक संसाधनों के स्वामित्व के लिए तथा आपकी दैनिक जरूरतों व आपकी आध्यात्मिक जरूरतों की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करने सम्बंधी आपकी परंपराएँ। सामाजिक आकलन में उन प्राकृतिक संसाधनों पर भी ध्यान देना होगा जिनका उपयोग आपका समुदाय कभी–कभार करता है।

सामाजिक आकलन का उद्देष्य यह पता लगाना है कि यह परियोजना आप लोगों को किस तरह प्रभावित कर सकती है, और कुछ मामलों में पर्यावरण भी, कैसे प्रभावित हो सकता है।

# नीति क्या कहती है

## 4 व्यापक सामुदायिक समर्थन

सामाजिक आकलन खुले रूप से, पूर्व–सूचित और जानकारी सहित सलाह–मषविरे के ज़रिये होना चाहिए। उसे यह भी पता लगाना होगा कि योजना बनाते समय ('योजना तैयारी', देखें बॉक्स 1–6); और बाद में, परियोजना दस्तावेज़ों की समीक्षा ('परियोजना आकलन', देखें बॉक्स 7) के दौरान परियोजना को व्यापक सामुदायिक समर्थन प्राप्त है या नहीं।

व्यापक सामुदायिक समर्थन का मतलब है कि आपके समुदाय के प्रमुख समूह परियोजना का समर्थन करते हैं और चाहते हैं कि परियोजना आगे बढ़े।

अगर सरकार यह साबित नहीं कर सकती है कि आदिवासी जनों ने परियोजना को व्यापक सामुदायिक समर्थन प्रदान किया है, तब विष्व बैंक परियोजना को **फंड नहीं** देगी। परियोजना पर आपत्ति जताने के लिए आपके समुदाय के प्रमुख समूहों को उसे नकारना होगा। सिर्फ थोड़े से लोगों का विरोध यह दर्षाने के लिए काफी नहीं है कि परियोजना को समुदाय का समर्थन नहीं है।

## 5 आदिवासी जन योजना

परियोजना को व्यापक सामुदायिक समर्थन मिलने पर सरकार को उसे **"आदिवासी जन योजना" (आई.पी.पी.)** के बतौर दर्शाना होगा।

एक आदिवासी जन योजना दर्शाती है कि वह योजना लोगों के साथ मिलकर कैसे काम करेगी। उसमें इस बात का उल्लेख होता है कि समुदाय पर पड़ने वाले हानिकर प्रभावों से बचने या उन्हें कम करने के लिए परियोजना क्या–क्या करेगी और अगर कुछ गलत होता है तो आप अपनी षिकायत कैसे दर्ज करेंगे।

अगर आप स्वीकार करते हैं कि परियोजना आपकी देषज जानकारी और संस्कृति के विकास के ज़रिये पैसा बना सकती है तो आदिवासी जन योजना को यह बयान करना होगा कि आप सहमत हैं। उसे उन षर्तों का भी वर्णन करना होगा जो षर्तें परियोजना द्वारा अपनी संस्कृति और जानकारी के इस्तेमाल को निर्धारित करने के लिहाज़ से आपने लगाई हैं।

आदिवासी जन योजना में वे **कार्य योजनाएँ** भी षामिल रहती हैं जो आपको बताती हैं कि किस तरह यह परियोजना आपकी आदिवासी संस्कृति के अनुकूल आपके समुदाय को सामाजिक और आर्थिक लाभ मुहैया कराएंगी।

अगर परियोजना आपकी ज़मीन पर कोई सड़क, पाईपलाईन, बाँध, पावरलाईन या किसी अन्य स्थायी ढांचे का निर्माण करना चाहती है, तो विष्व बैंक कहता है कि सरकार को अधिकृत रूप से यह मानना होगा कि वह ज़मीन आपकी अपनी है और सरकार को आपकी तमाम परम्परागत भू–सम्पत्तियों को कानूनी रूप से पंजीकृत करना पड़ेगा। 'आदिवासी जन योजना' में इस कानूनी मान्यता के लिए एक 'कार्य योजना' को षामिल करना होगा।

जिन परियोजनाओं में वैसे तो किसी स्थायी ढाँचे का निर्माण नहीं हो, लेकिन अगर वे किसी और प्रकार से आपकी भू–सम्पत्तियों को प्रभावित कर सकती हैं; वहाँ आप परियोजना को अपना व्यापक सामुदायिक समर्थन देने के लिए आप यह निर्णय ले सकते हैं कि परियोजना को अपना 'व्यापक सामुदायिक समर्थन' आप तभी देंगे जब सरकार आपकी सारी भू–सम्पत्तियों को मान्यता दे दे। ऐसे मामलों में एक 'कार्य योजना' अलग से बनानी होगी।

'आदिवासी जन योजना' में आदिवासी समुदायों को लाभान्वित करने के लिए बजट और गतिविधियों के टाईम–टेबल भी षामिल होने चाहियें।

## 6 जबरन पुनर्स्थापन से बचाव

विष्व बैंक के नियमों के तहत सरकार तभी आपके समुदाय को पुनर्स्थापित (किसी अन्य जगह ले जाना) कर सकती है जब ऐसे पुनर्स्थापन के लिए आपके समुदाय का समर्थन पहले से दिया गया हो।

**संरक्षित क्षेत्र :**
अगर परियोजना में राश्ट्रीय उद्यान या अन्य संरक्षित क्षेत्र षामिल हैं तो परियोजना आपके द्वारा उन क्षेत्रों के उपयोग को तभी घटा सकती है या बदल सकती है, जब आपका समुदाय खुले, पूर्व–सूचित और जानकारी से लैस सलाह–मषविरे के बाद ही इसके लिए सहमत हुआ हो।

विष्व बैंक कहता है कि ऐसी 'अपवादस्वरूप' परिस्थितियाँ हो सकती हैं जहाँ कोई परियोजना आपके द्वारा राश्ट्रीय उद्यानों या संरक्षित क्षेत्रों के उपयोग को कम करेगी या उसे रोकेगी। ऐसे में, सरकार को **प्रक्रिया ढाँचा** नाम का एक दस्तावेज तैयार करना होगा, जिसमें बताया जाएगा कि जबरन पुनर्स्थापन के मामलों में सरकार किस तरह से विश्व बैंक की ही एक और नीति (ओ.पी. 4.12) का पालन करेगी। और इस पर आपके समुदाय का **व्यापक समर्थन** हासिल करना भी सरकार के लिए ज़रूरी होगा।

# नीति क्या कहती है

## 7 परियोजना का मूल्यांकन और अनुमोदन

इस चरण में सरकार को आपके समुदाय को सामाजिक आकलन की रिपोर्ट, आदिवासी जन योजना का मसविदा और प्रोसेस फ्रेम वर्क का मसविदा देना होगा। उसे ये दस्तावेज़ सही भाशा में इस रूप में देने होंगे कि आपके समुदाय उनको समझ सकें।

विष्व बैंक आपके देष में आकर परियोजना के बारे में सारी जानकारी की समीक्षा करता है, जिसमें आपके साथ उसके सलाह–मषविरों के नतीजे भी षामिल रहते हैं। अगर आप परियोजना के बारे में असंतुश्ट हैं तो आपके देष में विश्व बैंक की मूल्यांकन टीम आने पर उससे मिलने के लिए हर प्रयास करें।

अद्यतन प्रोजेक्ट आइडेंटीफिकेषन दस्तावेज़ (बॉक्स–9 देखें) यह सुनिष्चित करता है कि सरकार नीति में बैंक के नियमों के अनुसार आदिवासी जन योजना को अंतिम रूप दे। बैंक द्वारा किये गए पर्यावरणीय आकलन आम जनता को उपलब्ध कराये जाते हैं। अगर बैंक को इस बात का कोई प्रमाण ा नहीं मिलता कि आपके समुदाय ने अपना व्यापक समर्थन प्रदान किया है, तो परियोजना का मूल्यांकन रुक जाता है।

अगर समुदाय का व्यापक समर्थन है तो बैंक एक **प्रोजेक्ट मूल्यांकन दस्तावेज़ (पी.ए.डी.)** लिखता है, जिसमें यह स्पश्ट किया जाता है कि उसकी परियोजना आदिवासियों पर बैंक की नीति का पालन कैसे करती है। आपके द्वारा परियोजना के **अनुमोदन के बाद ही** बैंक प्रोजेक्ट मूल्यांकन दस्तावेज़ का प्रकाषन करता है।

बैंक और सरकार ऋण की राषि और षर्तों पर वार्ता करते हैं। बैंक का संचालक मण्डल ऋण को निर्धारित करने वाले कानूनी समझौते का अनुमोदन करता है।

## 8 परियोजना का क्रियान्वयन

परियोजना मूल्यांकन दस्तावेज़ और परियोजना के अंतिम दस्तावेज़ सरकार द्वारा आपकी संस्कृति का सम्मान करते हुए आपको ऐसी भाशा में कि आप उनको आसानी से समझ सकें। साथ ही, ये सारे दस्तावेज़ सरकार द्वारा ऐसी जगह उपलब्ध कराये जाने चाहियें, जहाँ आप इन्हें आसानी से लेने जा सकें।

सरकार को परियोजना के संबंध में षिकायत करने की एक व्यवस्था कायम करनी होगी। उसे इस बात को मॉनीटर करना होगा कि कैसे परियोजना चलायी जा रही है और उसमें एक खुले, पूर्व–सूचित व जानकारी से लैस सलाह मषविरे के ज़रिये समुदाय को हर कदम पर षामिल किया जा रहा है।

बैंक को सुनिष्चित करना होगा कि सरकार तमाम कानूनी समझौतों के अनुसार परियोजना चला रही है।

## 9 विष्व बैंक की भाशा

विष्व बैंक की नीति में सारे नियमों के अर्थ (परिभाशाएँ) की व्याख्या करने के लिए खास षब्दों का प्रयोग किया जाता है। आपके समुदायों, संगठनों और नेताओं को इन षब्दों के अर्थ से सुपरिचित होना होगा ताकि आप यह सुनिष्चित करने का प्रयास कर सकें कि बैंक और सरकार आप की बातों को सुनें।

यह मार्गदर्षिका नीति के कुछ प्रमुख षब्दों की व्याख्या पहले ही कर चुकी है :

खुला, पूर्व–सूचित और जानकारी से लैस सलाह मषविरा – बॉक्स 2 देखें।

समुदाय का व्यापक समर्थन – बॉक्स 4 देखें।

जानकारी से लैस भागीदारी – बॉक्स 2 देखें।

सामूहिक जुड़ाव – बॉक्स 1 देखें।

बैंक द्वारा प्रयोग किये जाने वाले वैसे अन्य महत्वपूर्ण षब्द जिनको समझना आपके लिए जरूरी है :

➢ परियोजना जानकारी दस्तावेज (पी.आई.डी.) : विष्व बैंक द्वारा प्रकाषित एक संक्षिप्त दस्तावेज़ जिसमें परियोजना के उद्देष्य और लागत की जानकारी दी गयी है और बताया गया है कि आदिवासी जनों और अन्य सामाजिक मुद्दों के साथ कैसा व्यवहार किया जायेगा। परियोजना की स्क्रीनिंग के बाद, यह दस्तावेज़ आम जनता को उपलब्ध कराया जायेगा।

➢ समाकलित सुरक्षा डेटा षीट (आई.एस.डी.एस.) : षुरूआती पी.आई.डी. के साथ–साथ प्रकाषित एक संक्षिप्त, किन्तु महत्वपूर्ण दस्तावेज़। इसमें बताया जाता है कि विष्व बैंक के किन नियमों का अनुसरण करना होगा और इसमें यह दर्ज किया जाता है कि बैंक आदिवासी जन नीति को लागू करेगी या नहीं। इस दस्तावेज़ में परियोजना सम्बंधी बैंक के निर्णयों से आप असहमत भी हो सकते हैं। परियोजना मूल्यांकन : विष्व बैंक द्वारा सरकार, परामर्षदाताओं और खुद बैंक द्वारा संग्रहित सारी रिपोर्टों और जानकारी के बाद परियोजना तैयारी का अंतिम काम।

➢ इस चरण में, बैंक यह निर्णय करता है कि परियोजना बैंक की आदिवासी जन नीति सहित बैंक के तमाम नियमों का ठीक से पालन कर सकेगी या नहीं, और बैंक उसको फंड देगा या नहीं। प्राप्त जानकारी की जाँच करने और समझौतों की सटीकता को सुनिष्चित करने के लिए बैंक मूल्यांकन चरण में अपने कर्मचारियों को आपके देष और आपके क्षेत्र में भेज सकता है। आपको विष्व बैंक से यह पूछना चाहिए कि कब परियोजना मूल्यांकन होगा, क्योंकि आपको अपने विचार बताने का यह अंतिम मौका होता है।

➢ परियोजना मूल्यांकन दस्तावेज : यह एक बड़ा दस्तावेज़ है जिसमें परियोजना और उसके विभिन्न बजटों का वर्णन किया गया है। दस्तावेज़ में सामाजिक आकलन का संक्षेप, अंतिम आदिवासी जन योजना और परिषिश्टों के रूप में अन्य अध्ययन एवं योजनाएँ षामिल होंगी जिनमें खुले, पूर्व–सूचित और जानकारी से लैस सलाह–मषविरे की प्रक्रिया और परियोजना के बारे में आप के लोगों और संगठनों के विचार दर्ज होंगे। यह दस्तावेज विष्व बैंक के कार्यकारी संचालकों को भेजा जायेगा, जो यह निर्णय करेंगे कि परियोजना को स्वीकार करें या अस्वीकार या फिर कोई बदलाव करने के लिए कहें। अधिकृत रूप से यह दस्तावेज़ सार्वजनिक रूप से तभी उपलब्ध कराया जाता है, जब बैंक के कार्यकारी संचालक कहते हैं कि परियोजना के अनुमोदन के बाद वे परियोजना के लिए फंड देंगे।

➢ प्रोसेस फ्रेमवर्क : परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान आदिवासी जनों और अन्य सामाजिक मुद्दों पर व्यवहार करने के लिए एक संक्षिप्त सामान्य योजना। संरक्षित क्षेत्रों से संबंधित परियोजनाओं में यह ज़रूरी होता है। विष्व बैंक को यह सुनिष्चित करना होगा कि इसे विकसित करने की प्रक्रिया में आपकी भागीदारी हों।

➢ ऋण समझौता : परियोजना क्रियान्वित करने की पद्धति के सिलसिले में विष्व बैंक और आपकी सरकार के बीच एक कानूनी समझौता, जिसमें आदिवासियों की रक्षा या फायदे से संबंधित गतिविधियाँ षामिल रहती हैं। कभी–कभी यह समझौता गुप्त होता है, पर हमेषा नहीं। आप अपनी सरकार से इस समझौते की एक प्रति माँग सकते हैं।

➢ टास्क टीम लीडर : विष्व बैंक का वह कर्मचारी जो बैंक की किसी खास परियोजना का प्रभारी होता है। यह व्यक्ति बैंक के मुख्यालय में रह सकता है या आपके क्षेत्र के किसी देष में बैंक के किसी कार्यालय में रह सकता है। पी.आई.डी. दस्तावेज़ में उससे सम्पर्क साध सकने बाबत जानकारी होनी चाहिए।

# सामुदायिक कार्यवाही

## A किसी परियोजना के बारे में जानकारी प्राप्त करना

- अन्य आदिवासी जनों या अपने एन. जी. ओ. साझीदारों से मदद माँगिये (सम्पर्क विवरण के लिए पृश्ठ 7 देखिये)।
- अपने देष में विष्व बैंक के कार्यालय से और आदिवासी संगठनों और एन. जी. ओ. से परियोजना के बारे में यथासंभव जानकारी प्राप्त कीजिए।
- बैंक से **"परियोजना जानकारी दस्तावेज" (पी. आई. डी.)** और **"समग्र सुरक्षा डेटा शीट"** की प्रतियाँ माँगिए। इन दस्तावेजों में परियोजना के उद्देष्यों और उसकी समय–तालिका की जानकारी मिलती है, और पता चलता है कि बैंक में जिम्मेदार व्यक्ति (टास्क मैनेजर या टास्क टीम लीडर) से कैसे सम्पर्क करें। पृश्ठ 7 में दिया है कि इंटरनेट से ये कैसे दस्तावेज प्राप्त किये जा सकते हैं। अगर अपने देष में स्थित बैंक का कार्यालय आपको ये दस्तावेज नहीं देता है तो फिर अपनी सरकार से माँगिये।

  अगर आपको कोई भी जानकारी नहीं मिलती है तो आपको बैंक के मुख्यालय में स्थित इंडिजीनस पीपुल्स यूनिट (आई. पी. यू.) से षिकायत करनी चाहिए (पृश्ठ 7 देखें)।
- क्या इन दस्तावेजों में आपके और सभी समुदायों और आप सबकी उन तमाम भू–सम्पत्तियों व प्राकृतिक संसाधनों का दर्ज किया गया है जो परियोजना से प्रभावित हो सकते हैं?
- समुदाय के सदस्यों के साथ परियोजना पर चर्चा करना षुरू कीजिए।

## सरकारी परामर्श

## B समुदाय के साथ सरकार द्वारा सलाह मशविरा

- क्या सरकार ने सही समय पर आपके समुदाय को सलाह–मषविरे के बारे बताया है तथा आपकी भागीदारी के लिए व्यवस्था की है?
- क्या आपके परंपरागत नेताओं, बड़े–बूढ़ों, महिलाओं और समुदाय के अन्य महत्वपूर्ण समूहों को सलाह–मषविरे में षामिल किया गया है?
- क्या आप को पर्याप्त जानकारी सही भाशा में मिली है ताकि आप परियोजना को समझ सकें?
- क्या आप को वे सब अच्छी और बुरी बातें बतायी गयी हैं जो परियोजना में घट सकती हैं?
- क्या इस सलाह–मषविरे ने एक समुदाय के रूप में आदिवासी संस्कृति और निर्णय लेने की परंपरागत पद्धतियों का सम्मान किया है?
- क्या सलाह–मषविरे द्वारा पूरे समुदाय की राय प्राप्त की गयी है, और मात्र कुछ लोगों के विचार नहीं?
- क्या समुदाय के सदस्यों ने परियोजना के सिलसिले में उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बातों और अपनी चिंताओं के बारे में बात की है तथा क्या सलाह–मषविरे में ये सारी बातें दर्ज की गयी हैं?
- क्या आप के प्रष्नों का ठीक से उत्तर दिया गया है? प्राप्त जानकारी से आप संतुश्ट हैं?
- क्या आपका समुदाय सोचता है कि सरकार ने ईमानदारी और निश्ठा के साथ सबों से सलाह–मषविरा किया है?
- क्या सलाह–मषविरे ने समुदायों और नेताओं व आपकी ओर से बोलने वाले संगठनों को परियोजना के बारे में निर्णय लेने का मौका दिया है और परियोजना की योजना बनाने और उसके क्रियान्वयन में आप लोगों के द्वारा चाहे गए किसी भी तरह के बदलाव का मौका दिया है?

अगर आप सोचते हैं कि सलाह–मषविरा बॉक्स–2 के अनुसार ठीक से नहीं किया गया है, या जानकारी से लैस भागीदारी सम्बंधी आपके अधिकार का सम्मान नहीं किया गया है तो विष्व बैंक में परियोजना के टास्क मैनेजर को लिखें और बैंक की आदिवासी इकाई को उसकी एक प्रति भेजें (पतों के लिए पृश्ठ 7 देखें)।

# आप क्या कर सकते हैं?

## C सामाजिक आकलन में भागीदारी

- परियोजना आपकी भूमि एवं संसाधनों, आपकी आजीविकाओं तथा आपकी धार्मिक पद्धतियों को कैसे प्रभावित करेगी?
- परियोजना पर चर्चा करने के लिए अपने समुदाय को षामिल व सक्रिय कीजिए। क्या सरकार नीतिगत नियमों का पालन कर रही है और क्या परियोजना सचमुच आपकी ज़मीन और संसाधनों के साथ आपके 'सामूहिक जुड़ाव' का सम्मान करती है? (देखें बॉक्स–1)।
- अगर आप समझते हैं कि परियोजना आपके समुदाय को नुकसान पहुँचा सकती है तो सामाजिक आकलन करने वाले परामर्षदाताओं (कन्सल्टेंट्स) को बताइए कि कैसे और क्यों परियोजना आपके लोगों के लिए हानिकर हो सकती है।

आप जो कुछ कह रहे हैं उसे लिख लीजिए या लिखने के लिए किसी की मदद लीजिए। अपने देष में विष्व बैंक के कार्यालय को अपना लिखित बयान भेजिए और संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित विष्व बैंक के मुख्यालय को उसकी एक प्रति भेजिए (पतों के लिए पृश्ठ–7 देखें)।

याद रखें! बैंक से किये गये सभी संवाद को तारिख सहित संभाल कर रखें, जिससे आपको बाद में प्रमाण देते समय उपयोगी होगा।

## D परियोजना पर अपनी राय देना

- अगर आपका समुदाय निर्णय लेता है कि वह परियोजना नहीं चाहता है तो परामर्षदाताओं को यह बात बताइए और विष्व बैंक में परियोजना के टास्क मैनेजर को अपने वक्तव्य की एक प्रति भेजिए। संभव हो तो आपके विष्वस्त एक बाहरी व्यक्ति या संगठन को बुलाइए जो आपके निर्णय का गवाह बने। अगर विष्व बैंक को इस बात का स्पश्ट प्रमाण मिलता है कि आप का समुदाय परियोजना पर आपत्ति करता है तो वह परियोजना के लिए फंड नहीं देगा।
- अगर आपका समुदाय सोचता है कि परियोजना एक अच्छी चीज़ हो सकती है तो परामर्षदाताओं को यह बताने के लिए कहिए कि वे अपनी रिपोर्ट में क्या लिखेंगे। इसमें परियोजना के संदर्भ में आपके व परामर्षदाताओं के बीच हुए तमाम समझौते भी षामिल होंगे।
- तब भी अगर आपको परियोजना के कुछ भागों के बारे में चिंता है तो परामर्षदाताओं से कहिए कि आपके द्वारा परियोजना को समर्थन दिये जाने के पहले परियोजना में कैसा बदलाव करना होगा। परामर्षदाताओं को यह बात साफ–साफ बताइए कि आपके समुदाय का निर्णय लेने का अपना अलग तरीका है और सरकार व बैंक को उसका समर्थन करना होगा।
- अगर आपका समुदाय परियोजना को स्वीकार कर सकता है, तो परामर्षदाताओं को बताइए कि आप अपने समर्थन की **पुष्टि तभी** करेंगे जब आप परियोजना के सभी अंतिम दस्तावेज़ देख चुके होंगे और यह जाँच चुके होंगे कि सरकार लिखित रूप से आपके अधिकारों और हितों का पूरी तरह सम्मान करने के लिए सहमत हुई ह।

आप अपने समुदाय का व्यापक समर्थन देने वाले किसी दस्तावेज़ पर तब तक हस्ताक्षर न कीजिए जब तक आपने परियोजना के अंतिम दस्तावेज़ों का अध्ययन नहीं किया है और उन्हें अच्छे से नहीं समझा है। आप इन्हें आगे चल कर परियोजना–आकलन चरण (बॉक्स 7) में देख सकते हैं।

# सामुदायिक कार्यवाही

## E आदिवासी जन योजना में आपका सामुदायिक योगदान

- परामर्षदाताओं या अपने एन. जी. ओ. साझीदारों से यह पता लगाइए कि आदिवासी जन योजना के बारे में सरकार आपके साथ सलाह–मषविरा कब करेगी और कैसे वह योजना तैयार करने और उसे क्रियान्वित करने में आपकी जानकारी लैस भागीदारी हेतु व्यवस्था करेगी?
- अपने लोगों को यह निर्णय लेने के लिए एकजुट कीजिए कि समुदाय को होने फायदों व सम्भावित नुकसान से बचने के संदर्भ में आप परियोजना से क्या–क्या चाहते हैं।
- क्या सरकार ने आदिवासी जन योजना के बारे में आपके समुदाय के साथ सलाह–मषविरा करने के लिए सही प्रक्रियाओं का उपयोग किया है (बॉक्स 2)? योजना बनाने और उसे लागू करने में क्या आपके समुदाय को षामिल किया जायेगा?
- जानिये कि आदिवासी जन योजना के बारे में परामर्षदाता क्या–क्या लिखने वाले हैं। क्या आप अपने समुदाय के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण बातों के सिलसिले में योजना द्वारा किये जाने वाले व्यवहार से संतुष्ट हैं?

## F जबरन विस्थापन नहीं

- क्या सरकार ने खुले, पूर्व–सूचित और जानकारी से लैस सलाह–मषविरों के लिए बॉक्स–2 में दी गयी सही प्रक्रियाओं का उपयोग किया है?
- सरकार की योजनाओं को स्वीकार करने या नहीं करने के बारे में बॉक्स–D में दिये गये मार्गदर्षी सूत्रों का पालन करें।
- पुनर्स्थापन या आपके द्वारा संरक्षित क्षेत्रों के इस्तेमाल की पद्धति में बदलाव के बारे में क्या आप की आपत्तियों को परामर्षदाताओं ने दर्ज किया है?
- अगर आपका समुदाय संभावित पुनर्स्थापन या आपके द्वारा संरक्षित क्षेत्रों के इस्तेमाल की पद्धति में बदलाव को स्वीकार कर **सकता** है, तब यह सुनिष्चित कीजिए कि परामर्षदाता न्यायोचित विकल्पों या आपकी ज़मीन, ससांधनों, आजीविकाओं और धार्मिक पद्धतियों को होने वाले नकुसान के लिए मुआवज़े बाबत आपकी माँगों को दर्ज करें।

याद रखें : किसी भी विष्व बैंक परियोजना में सरकार आपको जबरन आपकी ज़मीन से हटा नहीं सकती या आपके प्राकृतिक संसाधनों के परम्परागत इस्तेमाल को जबरन नहीं बदल सकती है।

# आप क्या कर सकते हैं?

## G परियोजना का मूल्यांकन व अनुमोदन

- विष्व बैंक को लिखें कि कब उसकी मूल्यांकन टीम आपके यहां आयेगी। उस टीम से कहें कि वह आपके समुदाय के नेताओं और समुदाय के लिए बोलने वालों से मिले। इस बात की कोषिष कीजिए कि चर्चाओं में गवाहों के रूप में आपके अपने पर्यवेक्षक बैठकों में मौजूद रहें।
- क्या आपको सही भाशा में तथा आपके समझने लायक ढंग से परियोजना के दस्तावेज़ प्राप्त हुए हैं?
- परियोजना मूल्यांकन के दस्तावेज़ के मसविदे की एक प्रति और पूर्ण सामाजिक आकलन की प्रति मांगिए। जरूरी नहीं कि बैंक को ये दस्तावेज आपको देने पड़ें, फिर भी कोषिष करना अच्छा है।
- सुनिष्चित कीजिए कि आपको अद्यतन परियोजना आइडेंटिफिकेषन दस्तावेज की एक प्रति, और कोई पर्यावरण आकलन अगर हुआ है तो, उसकी भी एक प्रति मिले। क्या आप उनमें लिखी बातों से सहमत हैं?
- क्या सामाजिक आकलन की रिपोर्ट में आपका, आपके प्रथागत अधिकारों, आपकी ज़मीनों और संसाधनों का ठीक से वर्णन किया गया है? क्या वह बताती है कि आपका समुदाय आप लोगों पर परियोजना के प्रभाव के बारे में क्या सोचता है?
- अगर सरकार ने परियोजना के बारे में आपके समुदाय के साथ समझौते किये हैं तो क्या दस्तावेजों में वे सारी बातें ठीक से दर्ज हैं तथा क्या आपके समुदाय की चिंताएं और परियोजना पर आपकी आपत्तियां दस्तावेजों में सही–सही दर्ज हैं?
- क्या आप मसविदे और अंतिम आदिवासी जन योजना, खास कर उसके उद्देष्यों, कार्ययोजनाओं, परियोजना–मॉनीटरिंग की पद्धतियों, षिकायत करने की पद्धतियों, बजटों और क्रियान्वयन योजनाओं से सहमत हैं?
- क्या आप अपने समुदाय और संरक्षित क्षेत्रों के लिए बनायी गयी योजनाओं से सहमत हैं?

अगर आप दस्तावेज़ों से सहमत नहीं हैं तो आप विष्व बैंक को लिखें कि परियोजना जैसी है, उसका आप समर्थन नहीं कर सकते हैं, और अनुकूल परिवर्तन करने की माँग करें। बैंक से कहिए कि वह आपको इस बात का लिखित प्रमाण दे कि कैसे उसने आपके अनुरोध का उत्तर दिया है।

अगर आप बैंक के उत्तर से संतुश्ट नहीं हैं तो फिर से अपनी आपत्ति दर्ज करते हुए बैंक को लिखें; ताकि परियोजना के अनुमोदन के पहले बैंक के बोर्ड के सामने आपके पत्र को रखा जा सके।

- अगर तब भी आपको परियोजना पर आपत्ति है तो ऋण के अनुमोदन के लिए बोर्ड की बैठक के पहले बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से आपके देष के प्रतिनिधि के मिलने की माँग करें।

## H परियोजना का क्रियान्वयन

- क्या आपके समुदाय को सही ढंग से परियोजना के दस्तावेज़ प्राप्त हुए हैं?
- क्या आपके समुदाय को खुले, पूर्व–सूचित एवं जानकारी से लैस सलाह–मषविरे के माध्यम से परियोजना में पूरी तरह षामिल किया गया है? क्या आपको इस बात की नियमित जानकारी मिलती रहती है कि परियोजना का काम कैसे चल रहा है, बजट का पैसा कैसे खर्च किया जा रहा है, और आपकी सहमति से बनायी गयी कार्य योजनाएँ कैसे क्रियान्वित की जा रही हैं?
- क्या सरकार भरोसे लायक ढंग से आप के साथ उसके समझौतों का सम्मान कर रही है?
- क्या आप परियोजना की षिकायत–पद्धतियों को समझते हैं? क्या उनका इस्तेमाल करना आप के लिए आसान है और क्या वे षीघ्र अपना उत्तर देते हैं?
- परियोजना की मॉनीटरिंग रिपोर्ट की प्रतियों की माँग करें और यह सुनिष्चित कीजिए कि वे आपके द्वारा बतायी गयी समस्याओं को दर्ज करें।
- बैंक की वार्शिक कामकाजी योजना की एक प्रति की माँग करें ताकि प्रत्येक वर्श परियोजना के लिए सरकार की योजनाओं और विभिन्न गतिविधियों के लिए बजट की जानकारी आप को मिलती रहे।
- अगर परियोजना में आपके द्वारा बतायी गई समस्याओं का समाधान अभी तक नहीं हुआ है या सरकार परियोजना–दस्तावेजों का सम्मान नहीं कर रही है, तो बैंक में प्रोजेक्ट टास्क मैनेजर को लिखें। आप अपने राश्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, सार्वजनिक बचाव संगठनों और राश्ट्रीय एवं अंतर्राश्ट्रीय एन.जी.ओ. से भी मदद ले सकते हैं।
- परियोजना क्रियान्वित करने वाली सरकारी एजेन्सियां आपके देष के कानूनों से आबद्ध हैं। अगर परियोजना उनका उल्लंघन करती है तो आप परियोजना बंद करने या परियोजना को बदलने के लिए राश्ट्रीय न्यायालयों का उपयोग कर सकते हैं। सलाह के लिए किसी आदिवासी जन संगठन या सहायक एन.जी.ओ. से सलाह मषविरा करें।
- आप विष्व बैंक के निरीक्षण पैनल से एक औपचारिक षिकायत भी कर सकते हैं। पैनल खुद समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता है पर वह बैंक को इसके बारे में बता सकता है।

# अधिक जानकारी व सहायता के लिए

## आपके देष में विष्व बैंक

कई देषों की राजधानी में विष्व बैंक के कार्यालय हैं। आपके देष में विश्व बैंक के कार्यालय व उसकी तमाम परियोजनाओं के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी आपको निम्नलिखित वेबसाईट पर दिये गए सम्पर्क–बिन्दुओं (लिंक्स) के ज़रिये मिलेगी रू : http://www.worldbank.org/india

भारत में विश्व बैंक की वेबसाईट पर परियोजना–दस्तावेज़, रिपोर्ट और देष के बारे में किये गए अनुसंधान की जानकारी मिलेगी। कुछ दस्तावेज़ पढ़ने की अनुमति आम जनता को नहीं होती है और इसलिए वे वेबसाईट पर उपलब्ध नहीं रहते हैं। जो परियोजनाएँ अभी षुरू नहीं हुई हैं (यानी कि अभी भी तैयारी में हैं) उनके लिए 'प्रोजेक्ट्स ऍण्ड प्रोग्राम्स' नामक लिंक पर जाएं और 'प्रपोज़्ड प्रोजेक्ट्स' को चुनें, और फिर सम्बंधित प्रोजेक्ट के नाम पर क्लिक करें, जो आपको 'परियोजना जानकारी दस्तावेज़ (पी.आई.डी.) और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज़ों पर ले जायेगा।

विष्व बैंक की साईट पर आप के देष के विदेषी मामलों के अधिकारी का पता भी आपको मिलेगा जिनसे आप सीधे सम्पर्क कर सकते हैं। भारत मे विश्व बैंक की वेबसाईट पर 'कॉन्टैक्ट अस/गेट इन्वॉल्व्ड' ('हम से सम्पर्क करें/जुड़ें') को चुनें और उस पर क्लिक करें।

## विश्व बैंक मुख्यालय

अगर आप अपने देष में विश्व बैंक परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके लिए अपने देष के विश्व बैंक कार्यालय से सम्पर्क करना बेहतर होगा। आप सीधे नीचे दिये गये पते पर वॉषिंगटन डी.सी., यू.एस.ए. में बैंक के मुख्यालय में आदिवासी जन को–ऑर्डिनेटर को भी ई–मेल या पत्र भेज सकते हैं। वैसे आपको, प्रोजेक्ट नियोजन व मूल्यांकन के दौरान, आपके द्वारा अपने देष के कार्यालय और मुख्यालय को भेजे गये अपने पत्रों या ई–मेलों की प्रतियां बनाकर रखनी चाहियें।

फैक्स : +1 202 477 0565
ई–मेल : indigenouspeoples@worldbank.org
पोस्ट : World Bank
Mail Stop Number MC5-523
1818 H Street, NW
Washington, D. C. 20433 USA

वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट से या बैंक को पत्र लिखकर आप आदिवासी जन नीति सम्बंधी इन दो दस्तावेज़ों की प्रतियाँ प्राप्त कर सकते हैं –

- ऑपरेषनल प्रोसीजर 4.10 : इंडिजीनस पीपुल्स
- बैंक प्रोसेजुर प्रोसीजर 4.10 : इंडिजीनस पीपुल्स

ये दस्तावेज़ हिंदी, बंगाली, अंग्रेज़ी, फ्रेंच, रूसी, स्पैनिष और वियतनामी भाशाओं में उपलब्ध हैं।

वेबसाईट :

http://wbln0018.worldbank.org/html/eswwebsite.nsf/HTwe?OpenView&Start=1&Count=1000&Expand=1#1

## भारत में सहायक एन.जी.ओ. व संगठन

कई देषों में ऐसे एन.जी.ओ. भी हैं, जो पहले से ही उन मुद्दों पर काम कर रहे हैं, जो मुद्दे विष्व बैंक परियोजनाओं का हिस्सा हैं। इनके अलावा, ऐसे एन.जी.ओ. भी हैं, जिनको अतीत में विष्व बैंक की किसी परियोजना के साथ काम करते वक्त दिक्कतें आई हों। इसलिए उपयुक्त सलाह या सहायता के लिए, अपने देष में विष्व बैंक के साथ काम कर चुके / करने वाले संगठनों से सम्पर्क में रहना भी फायदेमंद हो सकता है।

## अन्तर्राष्ट्रीय सहायता

**वन जन कार्यक्रम (फॉरेस्ट पीपुल्स प्रोग्राम – एफ.पी.पी.)** एक एन.जी.ओ. है जो स्व–निर्धारण सम्बंधी आदिवासियों के अधिकारों की हिमायत करता है, और साथ ही, विष्व बैंक जैसी अन्तर्राश्ट्रीय एजेन्सियों द्वारा आदिवासियों के ऊपर थोपी गई विनाषकारी परियोजनाओं को चुनौती देने के मामले में आदिवासियों के अधिकारों का समर्थन करता है। विष्व बैंक परियोजनाओं और उनके नियमों के सिलसिले में एफ.पी.पी. आपको सलाह दे सकता है। साथ ही, किसी परियोजना में आपकी सरकार की भूमिका के संदर्भ में वह आपको कानूनी सलाह भी दे सकता है। एफ.पी.पी. की वेबसाइट है रू एफपीपी का वेबसाइट है : http://www.forestpeoples.org

फोन : +44 1608 652893
फैक्स : +44 1608 652878
ई–मेल : info@forestpeoples.org
पोस्ट : FPP, 1c Fosseway Business Centre, Stratford Road,
Moreton-in-Marsh, GL56 9NQ, UK

**बैंक इन्फॉर्मेशन सेंटर (बी.आई.सी.)** एक एन.जी.ओ. है जो सामाजिक एवं आर्थिक न्याय और पारिस्थितिकी के टिकाऊपन को बढ़ावा देने के लिहाज़ से विष्व बैंक और अन्य अंतर्राश्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को प्रभावित करने के लिए विकासषील देषों में लोगों के साथ मिलकर काम करता है। बी.आई.सी. की वेबसाइट पर, दुनिया भर में चल रहीं या जल्द ही शुरू होने वालीं विष्व बैंक की परियोजनाओं के बारे में तमाम जानकारी उपलब्ध है। बी.आई.सी. की वेबसाइट : http://www.bicusa.org

फोन : +1 202 737 7752
फैक्स : +1 202 737 1155
ई–मेल : info@bicusa.org
पोस्ट : BIC, 1100 H Street, NW, Suite 650
Washington, D.C. 20005, USA

बी.आई.सी. के पास कई अन्तर्राश्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के साथ जुड़े लोगों के पते हैं। बी.आई.सी. की वेबसाइट पर अपने क्षेत्र सम्बंधी इस लिंक पर आपको ऐसी जानकारी मिल सकती है –
http://www.bicusa.org/en/Regions.aspx

इस वेबसाइट पर आप विष्व बैंक के लिए काम करने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण सम्पर्क व्यक्तियों को देख सकते हैं। साथ ही, 'एषियन डेव्लप्मेंट बैंक', 'दि इंटर–अमेरिकन डेव्लप्मेंट बैंक' और 'अफ्रीकन डेव्लप्मेंट बैंक' जैसी अन्य वित्तीय संस्थाओं के लोगों के सम्पर्क भी आपको मिलेंगे।

**अन्तर्राश्ट्रीय जवाबदेही परियोजना (द इंटरनैष्नल अकाण्टेबिलिटी प्रोजेक्ट – आई.ए.पी.)** एक अन्तर्राष्ट्रीय एन.जी.ओं है जो आदिवासियों व स्थानीय समुदायों को विश्व बैंक सहित तमाम अन्तर्राष्ट्रीय वित्त एवं सहायता एंजेसियों के खिलाफ अपनी शिकायतें, चिन्ताएं व अपने सरोकार दर्ज करवाने में मदद करता है।

आई.ए.पी. की वेबसाइट : http://www.accountabilityproject.org
फोन : +1 510 759 4440
पोस्ट : IAP, 657 Mission Street, Suite 500
San Francisco, CA 94105, USA

# टिप्पणी

# महत्वपूर्ण

## यह सुनिष्चित करें कि आपके पास आदिवासी जन नीति के सम्पूर्ण दस्तावेज़ (OP4.10 व BP 4.10) और उनके सारे परिषिश्ट उपलब्ध हैं

यदि आपको लगता है कि विश्व बैंक द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त कोई परियोजना आपके समुदायों व उनकी ज़मीनों को प्रभावित कर सकती है तो आपके लिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप विश्व बैंक की समूची नीति की सम्पूर्ण प्रति प्राप्त करें। यह नीति दो दस्तावेज़ों से मिलकर बनी है – ऑपरेषनल पॉलिसी 4.10 ऑन इंडिजीनस पीपुल्स और बैंक प्रोसीजर 4.10 ऑन इंडिजीनस पीपुल्स। ये दस्तावेज़ इंटरनेट पर यहां उपलब्ध हैं :

http://wbln0018.worldbank.org/html/eswwebsite.nsf/HTwe?OpenView&Start=1&Count=1000&Expand=1#1

**Forest Peoples Programme**
1c Fosseway Centre, Moreton-in-Marsh, GL56 9NQ, UK
tel: +44 1608 652893 fax: +44 1608 652878
info@forestpeoples.org www.forestpeoples.org